

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 260 / 2024

जसकरण सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा  
जिला हनुमानगढ़

— वादी

—:: बनाम ::—

1. बलकरण सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुखदर्शन सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. बसन्त कौर पत्नी दलीप सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सरजीत कौर पत्नी रेशम सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

**अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन**  
**निर्णय**

दिनांक :- 19/02/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

क. वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 को ब.हि.ब.:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
15 एमओडी-ए	43/265	21, 22, 23/.126	0.632 हैक्.
	43/266	1 ता 4, 5/.190	1.202 हैक्.
		कुल	1.834 हैक्.

ख. प्रतिवादी सं. 4 सरजीत कौर :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
15 एमओडी-ए	43/265	23/.127, 24, 25/.190	0.570 हैक्.

ग. प्रतिवादी सं. 2 सुखदर्शन सिंह :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
15 एमओडी-ए	43/266	8 ता 10, 11 ता 14/.506, 15/.095, 11/.126, 12/.127, 13/.126, 14/.127, 15/.095	1.360

ग. प्रतिवादी सं. 3 बसन्त कौर :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
15 एमओडी-ए	43/266	6/.190, 7, 16/.190, 17	0.886 हैक्.

घ. वादी जसकरण सिंह :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
----	-------	------	--------



सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

15 एमओडी-ए

43/266

11 ता 14/.506, 15/.095,

11/.127, 12/.126, 13/.127,

14/.126, 15/.095, 18 ता 20 1.360 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथऱ अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हों की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 19/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी, वन विभाग  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा